

—:: संशोधित आदेश ::—

निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/चि0अ0/एटी/प02/2015/SQ-9 दिनांक 28.06.15 में क्र.सं. 173 पर डा. राजेश सी शर्मा, चि.अ.टीए जिला चिकित्सालय चूरू के स्थान पर डा. राजेश कुमार शर्मा, चि. अ. जिला चिकित्सालय बांसवाडा एवं आदेश क्रमांक SQ-6 दिनांक 15.06.15 में क्र.सं. 24 पर डा. पिकी मातावा, चि.अ., पीएचसी खींवरसर चूरू के स्थान पर एवं SQ-7 दिनांक 18.06.15 में क्र.सं. 01 पर डा. अख्तर अली, चि.अ. पीएचसी कुंडेला झालावाड से पीएचसी बडाखेडा बून्दी स्थानान्तरणाधीन के स्थान पर पीएचसी बडाखेडा बून्दी पढा जावे।

निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/चि0अ0/एटी/प02/2015/SQ-6 दिनांक 15.06.15 में क्र.सं. 24 पर डा. रघुराज स्वामी, चि.अ., क्र.सं. 40 पर डा. पिकी मातावा, चि.अ. एवं आदेश क्रमांक SQ-9 दिनांक 28.06.15 में क्र.सं. 135 पर डा. राजेन्द्र प्रसाद, ब.चि.अ., क्र.सं. 114 पर डा0 जितेन्द्र जैतावत, चि.अ. एवं आदेश क्रमांक SQ-2 दिनांक 09.06.15 में क्र.सं. 49 पर डा. प्रहलाद राम, चि.अ. के आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते है, फलस्वरूप उक्त सभी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

आदेश क्रमांक SQ-8-A दिनांक 28.06.15 में डा. अरविन्द कुमार, चि.अ. के स्थान पर डा. अनिल गोयल, चि.अ. पढा जावे, फलस्वरूप डा. अनिल गोयल, चि.अ. राजकीय डिस्पेंसरी केनाल कॉलोनी हनुमानगढ जंक्शन हनुमानगढ व अरविन्द कुमार, चि.अ. राजकीय डिस्पेंसरी हनुमानगढ जंक्शन हनुमानगढ पर कार्य करेंगे।

डा0 प्रवीण चतुर्वेदी, क.वि. शिशु, जिला चिकित्सालय बीकानेर का पदस्थापन जिला चिकित्सालय बीकानेर में क.वि. शिशु के पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव व मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग (ग्रुप-1), राजस्थान, जयपुर।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, संबंधित।
8. निदेशक (ई.एस.आई.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी, संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्थानान्तरित चिकित्सकों को संबंधित चिकित्सा संस्थानों में समकक्ष अथवा उच्च रिक्त पदों पर निश्चित रूप से कार्यग्रहण करावें व पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्यग्रहण करवाकर अधो-हस्ताक्षरकर्ता से निर्देश प्राप्त करें।
11. संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
12. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर *आ/ज ही* अपलोड करने का श्रम करें।
13. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।